पूरी बेंच

पहले: पी. सी. जैन, सी.जे., डी. एस. तेवतिया, एस. पी. गोयल, आई. एस. तिवाना और डी. वी. सहगल, जे.जे. के समक्ष

शुभ राम और अन्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

ग्राम पंचायत और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 4401 ऑफ़ 1984

मई 27, 1986

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ) 1976 के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा संशोधित - धारा 21, 23, 23-ए, 38, 43, 48 और 51 - आदेश पारित किया गया धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा - धारा 23 के संदर्भ में अपराध की राशि क्या है - अधिकार क्षेत्र की प्रकृति - ग्राम पंचायत धारा 23 के तहत कार्य कर रही है - क्या प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही है - भविष्य की प्रत्याशा में आवर्ती जुर्माना और जारी रखने की सजा अवज्ञा-चाहे ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता हो।

माना गया, (बहुमत के अनुसार डी.एस. तेवतिया, एस.पी. गोयल और डी.वी. सहगल, जे.जे., आई.एस. तिवाना और पी.सी. जैन, सी.जे., कॉन्ट्रा) कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 23-ए का अवलोकन यह दिखाएगा कि इसका उल्लेख करना इसके खिलाफ है। पंचायत के आदेश में अन्य बातों के अलावा, धारा 23 के तहत, अपील पंजाब के मामले में जिला विकास और पंचायत अधिकारी और हरियाणा के मामले में उप निदेशक, पंचायत के पास होगी, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह है ग्राम पंचायत को अधिनियम की धारा 23 के तहत परिकल्पित आदेश पारित करना होगा। यदि धारा 21 या धारा 23 किसी अपराध का गठन करती है, तो ऐसे अपराध का संज्ञान अधिनियम की धारा 43 के तहत परिकल्पित के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन धारा 23 में ग्राम पंचायत की ओर से स्वत: संज्ञान कार्रवाई की परिकल्पना की गई है, न कि किसी पर निजी शिकायत जो दर्शाती है कि धारा 23 अपराध नहीं बनाती। इसके अलावा, आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए पंचायत द्वारा पारित आदेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है। धारा 23 के तहत पारित आदेश की अपील पंजाब के मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और हरियाणा के मामले में उप निदेशक, पंचायत के समक्ष की जा सकती है। धारा 23-ए जोड़ते समय अधिनियम की धारा 51 के अस्तित्व का ज्ञान विधानमंडल को दिया जाना चाहिए। यदि धारा 23 के तहत पारित आदेश के खिलाफ उपाय पहले से ही क़ानून में मौजूद होता, तो विधानमंडल अधिनियम में अनावश्यक धारा 23-ए नहीं जोड़ता। इसलिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और धारा 23-ए में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारियों को पंचायत के एक ही आदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा रोकना अराजकता को आमंत्रित करना

है, जिसका परिणाम आसानी से होगा यदि धारा 23 के तहत पारित किसी आदेश को धारा 23-ए में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा जाता है लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 23 के तहत कार्यवाही में पंचायत द्वारा प्रयोग किया गया क्षेत्राधिकार आपराधिक नहीं है और धारा 23 कोई अपराध नहीं बनाती है। एक अन्य परिस्थिति जो इस दृष्टिकोण को पुष्ट करती है, वह दंड की सीमा के संबंध में धारा 23 और धारा 48 के प्रावधानों के बीच टकराव है, यदि जुर्माना लगाना एक सजा माना जाता है। यदि यह माना जाता है कि धारा 23 एक अपराध बनाता है, तो धारा 23 के प्रावधानों का वह हिस्सा जो दंड की सीमा निर्धारित करता है, साथ ही धारा 23-ए के प्रावधानों को पूरी तरह से सुपर के रूप में लिखना होगा। निरर्थक और निरर्थक. धारा 23 के तहत पारित पंचायत के आदेश में यह निर्देश है कि धारा 21 के तहत पारित आदेश की लगातार अवज्ञा करने पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5/- प्रति दिन, स्पष्ट रूप से इसके प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में है।

हालाँकि अध्याय का शीर्षक उस अध्याय में होने वाले प्रावधान के चरित्र के बारे में निर्णायक नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि धारा 21 और 23 उस अध्याय में आते हैं जो 'ग्राम पंचायतों के व्यवसाय, कर्तव्यों, कार्यों और शक्तियों के आचरण' से संबंधित है, इसे और मजबूत करता है। यह विचार कि धारा 23 के तहत पारित आदेश प्रशासनिक प्रकृति का है। इसलिए, यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 21 के तहत पारित आदेश की अवज्ञा धारा 23 के संदर्भ में अपराध नहीं है और धारा 23 के तहत पारित आदेश प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में है और धारा 23 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा उसके आदेश की आगामी और निरंतर अवज्ञा की प्रत्याशा में वैध रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है।

(पैरा 8, 10, 11, 12, 22 और 23)

माना गया (प्रति आई.एस. तिवाना, जे., और पी.सी. जैन, सी.जे., कॉन्ट्रा), कि 'घूरने का सिद्धांत' एक बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत में निर्णय लेता है जिसे संभवतः तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए असाधारण या विशेष कारण न हों। वरीयता के कानून के सुस्थापित सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसमें किसी विशेष तर्क पर विचार किया गया था या नहीं, बशर्ते कि वह बिंदु जिसके संदर्भ में तर्क बाद में दिया गया था। उठाया जाना वास्तव में तय किया गया था। केवल इसलिए कि फैसले के दौरान उन सभी धाराओं का संदर्भ नहीं दिया गया, जिनका फैसले पर हमला करने वाले पक्षों के विद्वान वकील उल्लेख कर सकते हैं, यह आसानी से नहीं माना जा सकता है कि अदालत ने बिंदु तय करते समय उन प्रावधानों की अनदेखी की। . नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और सूरत सिंह बनाम

पंजाब राज्य और अन्य में पूर्ण पीठ का फैसला, रिपोर्ट किए गए या गैर-रिपोर्ट किए गए सभी निर्णय या तो इन उदाहरणों का पालन करते हुए या इन निर्णयों में अनुमोदित किए जाने चाहिए और नहीं। खारिज किये जाने योग्य. इस न्यायालय के निर्णयों की एक धारा है जिसमें यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा धारा 23 के संदर्भ में अपराध है और आदेश पारित होने के परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही बाद की धारा आपराधिक न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में है और इसके आलोक में पंचायत के आदेश की बाद की अवज्ञा की प्रत्याशा में उस धारा के तहत वैध रूप से कोई आवर्ती जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, इसके अलावा, अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील के लिए एक मंच प्रदान करने वाली धारा 23-ए की शुरूआत संभवतः इस न्यायालय द्वारा उस धारा पर बार-बार लगाए गए दायरे या व्याख्या को बदल या प्रभावित नहीं कर सकती है। यह धारा अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। इस धारा को क़ानून में शामिल करने से पहले भी, पूर्ववर्ती या न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून में यह निर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 23 के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत है। यह धारा जब यह कहती है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत दिए गए पंचायत के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के तीस दिनों की अवधि के भीतर उप निदेशक के पास अपील कर सकता है, तो यह केवल उस स्थिति को दोहराता है कि प्राधिकारी सक्षम है अधिनियम की धारा 23 के तहत आदेश पारित करने का काम ग्राम पंचायत का है और किसी का नहीं। यह धारा इस न्यायालय के आदेश से कुछ भी अलग नहीं करती है जैसा कि असंख्य निर्णयों में व्यक्त किया गया है। इसके अलावा, कानूनी स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा पारित आदेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 51 के तहत संशोधित किया जा सकता था, इसमें कभी संदेह नहीं था। अब, यदि इस पुनरीक्षण मंच के स्थान पर अधिनियम की धारा 23-ए द्वारा एक आवेदन मंच प्रदान किया गया है, तो यह किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत कार्यवाही आपराधिक न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है। . अधिनियम की धारा 23-ए के बाद के भाग ने अपीलीय निर्णय को अंतिम बना दिया है और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिनियम की धारा 51 के तहत पुनरीक्षण का उपाय अब किसी आदेश के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत। धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील द्वारा पुनरीक्षण के उपाय का यह प्रतिस्थापन विधायी नीति का मामला है। इसलिए, यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही आपराधिक न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में है और यह अपने आदेश की किसी भी बाद की अवज्ञा की प्रत्याशा में कोई आवर्ती जुर्माना नहीं लगा सकती है।

(पैरा 26, 27 और 28)

नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 पी.बी. 372.
सूरत सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 1985 पी.एल.जे. 402. नौरंग लाल बनाम ग्राम पंचायत 1964 पी.एल.जे. 28.
सुन्दर सिंह एवं अन्य बनाम ग्राम पंचायत 1966 सीआर. एल.जे. 500.
सरदारा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1967 मुकदमा। एल.जे. 333.
उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1967 मुकदमा। एल.जे. 859.
बचन सिंह एवं बारू बनाम ग्राम पंचायत 1977 पी.एल.जे. 192.

(अधिक शासित)

7 मई, 1985 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतपाल सिंह की खंडपीठ द्वारा मामले को पूर्ण पीठ में स्वीकार किया गया। 30 जनवरी, 1986 को इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश, श्री प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल को एक बड़ी पीठ में भेजा गया। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. टिवसिटिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल, माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना और माननीय शामिल हैं। श्री न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल ने मामले में शामिल कानून के प्रश्न का फैसला किया और मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत रिट याचिका, प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालय कृपया: -

(i) अनुबंध पी. 1, अनुबंध पी. 2 और अनुबंध पी. 3 के आदेशों को रद्द करें।
(ii) याचिकाकर्ताओं के घरों के विध्वंस पर रोक लगाने, जमीन पर कब्जा करने और दंड और आवर्ती दंड की राशि की वसूली पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करें।
(iii) कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या निर्देश जारी करें जो माननीय न्यायालय इस मामले में उपयुक्त और उचित समझे।
(iv) याचिकाकर्ताओं को याचिका की पुरस्कार लागत।

याचिकाकर्ता के वकील एच. एन. मेहतानी।
हरभगवान सिंह, वरिष्ठ वकील, गुरबचन सिंह, अरुण वालिया और जय श्री आनंद, उनके साथ वकील, गोपी चंद, वकील, राज्य के लिए।

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, जे.

(1) इस याचिका को मोशन बेंच द्वारा पूर्ण बेंच में स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि इसमें बचन सिंह और बारू बनाम ग्राम गुरनाला और अन्य[1] की ग्राम पंचायत में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून की शुद्धता पर संदेह था. जब यह याचिका तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई, तो पीठ के ध्यान में लाया गया कि सूरत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[2] में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने, बहुमत से, सैद्धांतिक रूप से बरकरार रखा था बचन सिंह और बारू के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून, लेकिन वर्तमान याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्ण पीठ ने सूरत सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया। इसके बाद पूर्ण पीठ ने मामले को पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया और इस तरह मामला हमारे सामने है।

(2) क्या पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के तहत पारित आदेश की अवज्ञा, अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में एक अपराध है और प्रत्याशा में आवर्ती जुर्माना लगाया जा सकता है उक्त धारा 23 के संदर्भ में आदेश की बाद की अवज्ञा का कानूनी प्रस्ताव है जो विचार के लिए आता है।

(3) अधिनियम की धारा 21 और 23 के संदर्भ में पंचायत के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति नारायण सिंह सिरा सिंह और अन्य बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई, (3) के मद्देनजर सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 21 और 23 के तहत कार्यवाही प्रशासनिक या कार्यकारी प्रकृति की थी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय में होगी या नहीं।

(4) पूर्ण पीठ ने सबसे पहले अपने सामने यह प्रश्न रखा कि क्या ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 21 और 23 के तहत कार्य करते हुए न्यायिक रूप से कार्य करती है या अन्यथा। यह मानने के बाद कि अधिनियम की धारा 21 और 23 के तहत कार्यवाही निश्चित रूप से न्यायिक प्रकृति की है, पूर्ण पीठ यह पहचानने के लिए आगे बढ़ी कि क्या विचाराधीन क्षेत्राधिकार आपराधिक, नागरिक या राजस्व प्रकृति का है। पूर्ण पीठ ने माना कि ग्राम पंचायत अधिनियम

---

[1] 1977 पी.एल.जे. 192.

[2] 1985 पी.एल.जे. 402.

की धारा 21 और 23 के तहत कार्यवाही करते समय विवेकपूर्वक कार्य करती है और आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। ऐसा धारण करने के लिए तीन परिस्थितियों पर विचार किया गया (1) अधिनियम की धारा 23 ने उस मंच या प्राधिकारी की पहचान नहीं की, जिसे बाद की अवज्ञा के लिए दंड और आवर्ती जुर्माना लगाने का आदेश पारित करना था, (2) कि पंचायत द्वारा धारा 23 के तहत आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र केवल अनुसूची 1-ए के आइटम (के) और अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों का हवाला देकर ही बताया जा सकता है, और (3) कि अभिव्यक्ति (अपराध') अधिनियम की धारा 3(ओं) का वही अर्थ है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 2 में दिया गया है, और जो बदले में, अभिव्यक्ति में परिभाषित करता है, यदि 'अपराध' का अर्थ 'कोई कार्य या चूक' है उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया और फिर अनुसूची 1-ए के आइटम (के) का हवाला देते हुए, यह माना गया कि अधिनियम में एकमात्र दंडात्मक धाराएं धारा 23 और 109 थीं।[3]

(5) नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले और बार में संबोधित विवादों के विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले, क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना वांछनीय होगा।

(6) अभिव्यक्ति 'अपराध' को परिभाषित करने वाले अधिनियम की धारा 3(एस) के प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में हैं:

“3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(एस) अभिव्यक्ति 'अपराध' समान है जिसका अर्थ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 पीएफ में है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(एन) का प्रासंगिक प्रावधान, अभिव्यक्ति 'अपराध' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

“2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(एन) 'अपराध' का अर्थ उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई कार्य या चूक है।

अधिनियम की धारा 21 का प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:

---

[3] एयर 1958 पंजाब 372.

“21. (1) एक ग्राम पंचायत या तो स्वप्रेरणा से या रिपोर्ट प्राप्त होने पर; या अन्य जानकारी और ऐसे साक्ष्य, यदि कोई हो, लेने पर, जैसा कि वह उचित समझे, एक सशर्त आदेश दे सकता है जिसमें आदेश 1 में तय किए जाने वाले समय के भीतर की आवश्यकता होती है।
' **
या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है, तो आदेश द्वारा तय किए जाने वाले समय और स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए, और इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए आगे बढ़ें। यदि वह ऐसा कार्य नहीं करता है या उपस्थित होकर कारण नहीं बताता है, तो आदेश को निरंकुश बना दिया जाएगा। यदि वह उपस्थित होता है और आदेश के विरुद्ध कारण बताता है तो ग्राम पंचायत साक्ष्य लेगी और यदि वह संतुष्ट है कि आदेश नहीं है! उचित एवं उचित होने पर मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो आदेश को निरंकुश बना दिया जाएगा।
(2) यदि ऐसा कार्य निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो ग्राम पंचायत इसे निष्पादित कर सकती है और ऐसे व्यक्ति से इसे निष्पादित करने की लागत की वसूली कर सकती है।

धारा 23, जैसा कि नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) का फैसला होने पर, यानी 1958 में मौजूद था, इस प्रकार पढ़ें:
“23. कोई भी व्यक्ति जो पिछले दो अंतिम खंडों के तहत किए गए ग्राम पंचायत के आदेश की अवज्ञा करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस रुपये तक बढ़ सकता है;
और यदि वह उल्लंघन लगातार उल्लंघन कर रहा है, तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जो पहली बार के बाद हर दिन के लिए एक रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है:
बशर्ते कि आवर्ती जुर्माना पांच सौ रुपये की राशि से अधिक नहीं होगा।

धारा 23, जैसा कि वर्तमान में मौजूद है, इस प्रकार है:
“23. कोई भी व्यक्ति जो पिछले दो अंतिम धाराओं के तहत दिए गए ग्राम पंचायत के आदेश की अवज्ञा करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पचास रुपये तक बढ़ सकता है; और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जो पहले उल्लंघन के बाद हर दिन के लिए पांच रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है:
बशर्ते कि आवर्ती जुर्माना पांच सौ रुपये की राशि से अधिक नहीं होगा।
अधिनियम की धारा 38 निम्नलिखित शर्तों में जेएस:
“38. ग्राम पंचायत का आपराधिक क्षेत्राधिकार अनुसूची 1-ए में निर्दिष्ट अपराध के मुकदमे तक ही सीमित होगा।

अधिनियम की अनुसूची 1-ए की मद (के) निम्नलिखित शर्तों में है:

अनुसूची 1-ए
ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध
अपराधों

(के) इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या उप-कानून के तहत।"

नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीशों को मुख्य रूप से इस स्थिति का सामना करना पड़ा कि क्या उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 23 के तहत या शक्ति के प्रयोग में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश पर अधिकार क्षेत्र था। दंड प्रक्रिया संहिता (पुरानी) की धारा 439 या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत। इसे न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर लिया गया और यह माना गया कि न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित ग्राम पंचायत के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत कोई शक्ति नहीं थी।

(7) यह देखा जा सकता है; संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय धारा 23 के तहत पारित ग्राम पंचायत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, भले ही यह माना जाए कि अधिनियम की धारा 23 के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की थी, हालांकि तब तक न्यायिक सहमति यह थी कि एक प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं था। एक बार जब यह पाया गया कि धारा 23 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश अर्ध-न्यायिक था, तो उच्च न्यायालय सीधे आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर भी विचार कर सकता था और आगे की जांच करना आवश्यक नहीं था। क्या पंचायत अधिनियम की धारा 21 या 23 के तहत कार्य करते समय आपराधिक, नागरिक या राजस्व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। विद्वान न्यायाधीशों को ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति के प्रश्न पर विचार करना पड़ा, क्योंकि धारा 23 के संदर्भ में उस फोरम की परिकल्पना नहीं की गई थी जिसे आदेश की बाद की अवज्ञा के लिए जुर्माना लगाने और जुर्माना निर्धारित करने का आदेश पारित करना था और यही एकमात्र रास्ता था अनुसूची 1-ए के आइटम (के) और धारा 38 के माध्यम से ग्राम पंचायत में अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (एन) में दी गई 'अपराध' की परिभाषा के साथ पढ़ें, अर्थात, यदि विद्वान न्यायाधीश यह नहीं मानते कि पंचायत ने धारा 23 के तहत कार्य करते समय आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, तो एक विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि धारा 23 ने ग्राम पंचायत को आदेश पारित करने के लिए मंच के रूप में पहचाना नहीं था। इसलिए उस मामले में पंचायत को अधिनियम की धारा 23 के तहत आदेश पारित करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित होना पड़ा।

(8) नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में फैसले के बाद, विधायिका ने, मेरी राय में, 1976 के अधिनियम संख्या 3 के तहत धारा 23-ए लागू करके, उस दुविधा को हल करने की मांग की जिसे पूर्ण पीठ ने नारायण सिंह, हरत सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में धारा 23 के तहत कार्य करने के लिए पंचायत की योग्यता के संबंध में, साथ ही इसके अधिकार क्षेत्र की प्रकृति के संबंध में, अधिनियम की धारा 23-ए निम्नलिखित शर्तों में है :
"23-ए. पंचायत के किसी आदेश (पंजाब में धारा 21, 22 या 23 के तहत) (हरियाणा में धारा 21 या धारा 23-) से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिनों की अवधि के भीतर (जिला) में अपील कर सकता है। पंजाब में विकास और पंचायत अधिकारी) (हरियाणा में उप निदेशक), जिसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। '
धारा 23-ए के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ, अन्य बातों के अलावा, अपील पंजाब के मामले में जिला विकास और पंचायत अधिकारी और उप निदेशक, पंचायत के पास की जाएगी। हरियाणा के मामले में, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ग्राम पंचायत है जिसे अधिनियम की धारा 23 के तहत परिकल्पित आदेश पारित करना है।

(9) अगला प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है: क्या विधायिका ने धारा 23 के तहत ग्राम पंचायत के आदेश से अपील के मंच की पहचान करके उस क्षेत्राधिकार का भी संकेत दिया है जिसका उपयोग ग्राम पंचायत उस धारा के तहत करती है? मेरी राय में, ऐसा हुआ।
(10) पूर्णपीठ, नारायण सिंह, हीरा सिंह और एक अन्य मामले (सुप्रा) ने अनुसूची 1-ए के आइटम (के) और अधिनियम की धारा 38 के संदर्भ में धारा 23 के तहत ग्राम पंचायत के आपराधिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया है जो प्रदान करता है कि ग्राम पंचायत का आपराधिक क्षेत्राधिकार अनुसूची 1-ए में निर्दिष्ट अपराधों के मुकदमे तक ही सीमित रहेगा।
पंचायत द्वारा आपराधिक मामलों का संज्ञान अधिनियम की धारा 43 के अनुसार लिया जाता है, जो हरियाणा के मामले में निम्नलिखित शर्तों में है:

"43. (1) कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के समक्ष आपराधिक मामला दर्ज करना चाहता है, उसे मौखिक रूप से या लिखित रूप से सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में किसी पंच को शिकायत करनी होगी और साथ ही अनुसूची III में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
बशर्ते कि यदि कोर्ट फीस स्टांप उस स्थान पर उपलब्ध नहीं है जहां पंचायत आमतौर पर बैठती है, तो समतुल्य राशि नकद में भुगतान की जाएगी।
(2) यदि शिकायत मौखिक रूप से की गई है, तो ऐसे विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, सरपंच या पंच द्वारा दर्ज किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, पंचायत भारतीय दंड संहिता की धारा 160, 228, 264, 277, 289, 290, 294, 510 के अंतर्गत आने वाले मामलों का स्वत: संज्ञान लेने में सक्षम होगी, और धारा 3 के तहत और
पंजाब किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 के 4 या उस समय लागू कोई अन्य अधिनियम।

यदि धारा 21 या धारा 23 कोई अपराध बनाती है, तो ऐसे अपराध का संज्ञान अधिनियम की धारा 43 के तहत परिकल्पित के अनुसार लिया जाना चाहिए। लेकिन अधिनियम की धारा 23 ग्राम पंचायत की ओर से स्वत: संज्ञान कार्रवाई की परिकल्पना करती है, न कि किसी निजी शिकायत पर, जो दर्शाती है कि धारा 23 कोई अपराध नहीं बनाती है। इसके अलावा, आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए पंचायत द्वारा पारित आदेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है। धारा 23 के तहत पारित आदेश को पंजाब के मामले में जिला विकास और पंचायत अधिकारी और हरियाणा के मामले में उप निदेशक, पंचायत के समक्ष अपील योग्य बनाया गया है। धारा 23-ए जोड़ते समय अधिनियम की निम्नलिखित धारा 51 के अस्तित्व का ज्ञान विधानमंडल को दिया जाना चाहिए:

(4) (1) यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि न्याय में विफलता हुई है, तो वह स्वयं या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर, आरोपी या शिकायतकर्ता को नोटिस के बाद लिखित आदेश दे सकता है। किसी पंचायत द्वारा न्यायिक कार्यवाही में दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या संशोधित किया जा सकता है या किसी अपराधी पर दोबारा मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जा सकता है। उसी या सक्षम क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्य पंचायत या उसके अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मामला।
(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर एक रुपये का शुल्क देना होगा।"

यदि धारा 23 के तहत पारित आदेश के खिलाफ उपाय पहले से ही क़ानून में मौजूद होता, तो विधानमंडल अधिनियम में अनावश्यक धारा 23-ए नहीं जोड़ता। इसलिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और धारा 23-ए में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारियों को पंचायत के एक ही आदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा रोकना अराजकता को आमंत्रित करना है, जिसका परिणाम आसानी से होगा यदि धारा 23-ए के तहत पारित किसी आदेश को धारा 23-ए में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा जाता है, लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 23 के तहत कार्यवाही में पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार आपराधिक नहीं है और धारा 23 कोई अपराध नहीं बनाती है।

(11) एक और परिस्थिति जो उपरोक्त दृष्टिकोण को पुष्ट करती है, वह है सजा की सीमा के संबंध में धारा 23 और धारा 48 के प्रावधानों के बीच टकराव, यदि जुर्माना लगाना एक सजा माना जाता है। धारा 48 के तहत, सामान्य शक्तियों वाली पंचायत अधिकतम रुपये का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 100 रुपये से अधिक का अधिकतम जुर्माना नहीं लगा सकता है। के कार्य से हुई क्षति का मूल्य 200 या उससे दोगुना या उससे कम। अभियुक्त पर, एक और प्रतिबंध के साथ कि ऐसा जुर्माना दिए गए अपराध के लिए कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगा। दूसरी ओर, धारा 23 पंचायत को जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, जो रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 500. चूक और कमीशन के कार्य, जिन्हें धारा 21 के प्रावधान या तो प्रतिबंधित करते हैं या करने की आवश्यकता होती है, ऐसे हैं कि इनमें कोई क्षति नहीं होती है। ऐसी स्थिति होने पर, यदि धारा 23 कोई अपराध बनाती है, तो सजा धारा 48 के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती, जिसके परिणामस्वरूप धारा 23 का वह भाग जो दंड की सीमा निर्धारित करता है, निरर्थक हो जाएगा।

(12) यदि यह माना जाता है कि धारा 23 एक अपराध बनाता है, तो धारा 23 के प्रावधानों का वह हिस्सा, जो दंड की सीमा निर्धारित करता है, साथ ही धारा 23-ए के प्रावधानों को पूरी तरह से लिखना होगा का, अतिश्योक्तिपूर्ण और अनावश्यक के रूप में। सम्मान के साथ, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि विधानमंडल ने व्यर्थ ही धारा 23-ए के प्रावधानों को लागू किया और धारा 23 में दंड की सीमा का प्रावधान किया। इसके विपरीत, यह अनुमान अप्रतिरोध्य है कि विधानमंडल ने नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में फैसले के बाद उस प्रश्न को हल करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसने नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीशों को दो वर्तनी देकर परेशान किया था। धारा 23-ए जोड़कर तथ्य: (1) कि धारा 23 के तहत आदेश पंचायत द्वारा पारित किया जाता है, और (2) कि धारा 23 के तहत आदेश पंजाब1 और उप निदेशक के मामले में जिला विकास और पंचायत अधिकारी के समक्ष अपील योग्य होगा। , पंचायतें, हरियाणा के मामले में। यह बाद वाला तथ्य, निर्णय के पहले भाग में विस्तृत चर्चा के अनुसार, इस तथ्य को उजागर करता है कि धारा 23 के तहत कार्य करते समय पंचायत ने आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया।

(13) धारा 23-ए के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए; नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले (सुप्रा) को अब सही कानून निर्धारित करने वाला नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि पंचायत ने धारा 23 के तहत कार्य करते समय आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया या धारा 23 ने अपराध बनाया .

(14) नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले के अनुपात के मद्देनजर कि धारा 23 ने एक अपराध बनाया और धारा 23 के तहत आदेश पारित करते समय पंचायत ने आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, यह न्यायालय था अगली बार इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या नारायण सिंह हीरा सिंह और दूसरे के मामले (सुप्रा) के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, पंचायत धारा 23 के तहत एक आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए पारित आदेश की अवज्ञा की प्रत्याशा में आवर्ती जुर्माना लगा सकती है। धारा 21 के तहत। खन्ना, जे. (जैसा वह तब था) सुरम सिंह* बनाम समताना कलां की ग्राम पंचायत और अन्य में,[4]राम लाई बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, बदायूँ के अनुपात पर भरोसा करते हुए[5] और बॉम्बे हाई कोर्ट ने री-लिंबाजी तुलसीराम[6] में कहा कि पंचायत भविष्य में आदेश की अवज्ञा के लिए उसी आदेश से आवर्ती जुर्माना नहीं लगा सकती, जिसके द्वारा उसने धारा 21 के तहत पारित आदेश का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया था। पंचायत द्वारा धारा 21 के तहत पारित आदेश में निर्धारित तिथि पर। इस संबंध में, उनकी निम्नलिखित टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं:

"उपर्युक्त से यह प्रतीत होता है कि जब भी यह प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में अवज्ञा की प्रत्याशा में जुर्माना लगाया जा सकता है, तो भारत में न्यायालयों ने हमेशा यह ध्यान में रखा है कि जुर्माना उस उल्लंघन के लिए नहीं लगाया जा सकता है जिस पर अभी कार्रवाई होनी है। भविष्य में स्थान. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न अधिनियमों की भाषा, जो उपर्युक्त मामलों की विषय वस्तु थी, और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 23 की भाषा बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन इससे निर्धारित नियम की प्रयोज्यता प्रभावित नहीं होगी। भविष्य में उल्लंघनों की आशंका में उन मामलों में जुर्माना लगाने के बिंदु पर नीचे। अधिनियम की धारा 23 के तहत उल्लंघन के पहले दिन के बाद लगातार उल्लंघन के लिए जुर्माना एक रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। उल्लंघन जारी रहने की अवधि के दौरान प्रति दिन 1 रु. अधिकतम सीमा तक। 500. शब्द 'जो हर दिन के लिए एक रुपये तक बढ़ सकता है' इंगित करता है कि जुर्माना जरूरी नहीं कि अधिकतम एक रुपये हो। 1 प्रति दिन> लेकिन उपयुक्त मामलों में कम हो सकता है, उदाहरण के लिए। 0.50 एन.पी. या 0.20 एन.पी. प्रति दिन। भविष्य में उल्लंघन के लिए दंड क्या होना चाहिए, इस सवाल का फैसला तभी किया जा सकता है जब पूरे तथ्य पता चल जाएं कि उल्लंघन जारी क्यों रहा। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया कोई व्यक्ति अपने खिलाफ जुर्माने का आदेश पारित होने के बाद ऐसा करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन किसी अपरिहार्य कठिनाई जैसे कि किसी से मिलना आदि के कारण काफी समय तक अतिक्रमण हटाने में असमर्थ हो।

---

[4] 1963 पी.एल.आर. 41

[5] 1925 समस्त 251

[6] आई.एल.आर. (1898) 22 बम। 766.

दुर्घटना। ऐसे मामलों में भविष्य में उल्लंघन के लिए उस आदमी के प्रति उदारता दिखानी होगी। इसके विपरीत, ऐसे व्यक्ति का मामला हो सकता है जो जानबूझकर और जानबूझकर अतिक्रमण हटाने के आदेश का उल्लंघन करता है और जिसके मामले में पंचायत गंभीर जुर्माना लगाना चाहेगी। भविष्य में उल्लंघन की प्रत्याशा में सज़ा पारित करना दोनों मामलों को एक जैसा मानने के समान होगा। सजा का सवाल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, और कोई भी दृष्टिकोण जो न्यायालय को उल्लंघन के लिए आकस्मिक परिस्थितियों पर विचार करने से रोकता है, उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मामले के इस पहलू पर राम में इलाहबाद और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से जोर दिया गया है। लाई बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बदायूँ, (सुप्रा) एवं इन रे। लिम्बाजी तुलसीराम (सुप्रा), जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।"

इस फैसले को इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने नौरंग लाई बनाम ग्राम गुजरवास की ग्राम पंचायत और अन्य[7] मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी थी:

'मुद्दा यह नहीं है कि एक अदालत या पंचायत इस तरह के आदेश के लगातार उल्लंघन के लिए आवर्ती जुर्माना नहीं लगा सकती है, बल्कि यह उल्लंघन के लिए अपराधी की पहली सजा पर ऐसा नहीं कर सकती है, (क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होगा) यह उस अपराध के लिए जुर्माना लगाने के समान है जो अभी तक नहीं किया गया है, जिसे नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के किसी आदेश की अवज्ञा के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, चाहे वह पंचायत या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया हो, आवर्ती जुर्माना केवल उल्लंघन के जारी रहने के बाद ही लगाया जा सकता है, और जब तक उल्लंघन जारी रहता है तब तक पंचायत या न्यायालय को अपराधी को बुलाना होगा और समय-समय पर उस पर आवर्ती जुर्माना लगाना होगा क्योंकि यह उचित है।
इसके बाद नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में बेंच के फैसले का पालन सुंदर सिंह और अन्य बनाम ग्राम पंचायत मनकन तहसील नारायणगढ़[8], सरदारा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[9] में किया गया। उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[10]।

---

[7] 1964 पीएलआर 28.

[8] 1966 करर. एल. जे. 500.

[9] 1967 करर. एल. जे. 833

[10] 1967 करर. एल. जे. 859.

(15) प्रस्ताव चरण में सूरत सिंह के मामले से निपटने में डिवीजन बेंच ने नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया। इसलिए प्रस्ताव चरण में ही खंडपीठ ने याचिका को पूर्ण पीठ के समक्ष स्वीकार कर लिया। सूरत सिंह के मामले (सुप्रा) में बहुमत के फैसले ने नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में पहले पूर्ण पीठ के फैसले का पालन किया, जिसमें कहा गया था कि पंचायत ने धारा 23 के तहत कार्य करते समय आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था और आगे यह भी कहा था कि धारा 23 ने एक अपराध बनाया है। इस पहलू से निपटते समय बहुमत का निर्णय कि क्या ग्राम पंचायत धारा 21 के तहत पारित आदेश की अवज्ञा की प्रत्याशा में धारा 23 के तहत आवर्ती जुर्माना लगा सकती है। सुरम में खन्ना, जे की टिप्पणियों का हवाला दिया गया। सिंह के कैफे (सुप्रा) और नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच की टिप्पणियों और नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून को मंजूरी दी गई।

(16) खन्ना, जे. और नौरंग मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच दोनों ने नारायण सिंह हीरा सिंह और दूसरे मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के अनुपात से पहले से ही सुसज्जित परिसर को मान लिया कि पंचायत ने अभ्यास करते समय एक आपराधिक न्यायालय के रूप में कार्य किया। धारा 23 के तहत क्षेत्राधिकार और फिर यह जांचने के लिए आगे बढ़े कि क्या आपराधिक न्यायालय के विवेक को यह निर्धारित करके बाध्य किया जा सकता है कि न्यायालय रुपये का जुर्माना लगाएगा। आदेश की बाद में अवज्ञा के लिए प्रति दिन 5 रु. दिए जाएंगे, बिना इस सवाल पर जाने की अनुमति दिए कि क्या अवज्ञा जानबूझकर की गई थी या आरोपी ऐसी परिस्थितियों में था कि वह मदद नहीं कर सकता था। सम्मान के साथ, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है कि अधिनियम की धारा 23-ए के लागू होने के बाद, नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) को अब सही कानून बनाने के लिए नहीं रखा जा सकता है, यानी पूर्ण पीठ का निर्णय नारायण सिंह हीरा सिंह और अन्य के मामले में (सुप्रा) कि ग्राम पंचायत ने धारा 23 के तहत आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और धारा 23 ने एक अपराध बनाया, यह अब अच्छा कानून नहीं था। इसे देखते हुए, जिस परिसर से: खन्ना, जे. और डिवीजन बेंच ने नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में कार्यवाही की थी, वह अब उनके उक्त निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए, पंचायत की शक्ति की जांच करने का सवाल है। धारा 23 के संदर्भ में आपराधिक न्यायालय अब उत्पन्न नहीं हो सकता है। राम लाई के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, लिम्बाजी तुलसीराम के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के, फणी भूषण बनाम कलकत्ता निगम[11] में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपात। और पटना उच्च न्यायालय के हलुमान साह बनाम मोतिहारी नगर

[11] ए.आई.आर. 1952 कैल. 737.

पालिका[12] में, जिसे बहुमत के फैसले में सूरत सिंह के केप (सुप्रा) में अनुमोदित रूप से संदर्भित किया गया है, कोई फायदा नहीं हो सकता है, ये सभी मामले नगरपालिका में प्रावधान से संबंधित हैं अधिनियम जिसके प्रावधान ने प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट द्वारा दंडनीय अपराध बनाया; उदाहरण के लिए, लिम्बाजी तुलसीराम के मामले में (सुप्रा) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था, और बॉम्बे नगरपालिका अधिनियम की धारा 472 के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में थे:

"472. जो कोई भी इस धारा में नीचे उल्लिखित किसी भी धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी उक्त प्रावधान का उल्लंघन करना जारी रखता है, उसे प्रत्येक दिन के लिए दंडित किया जाएगा जिस दिन वह अपराध करना जारी रखता है।

राम लाई के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में, यू.पी. नगर पालिका अधिनियम की धारा 307 (बी) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया था।

(17) फणी भूषण के मामले (सुप्रा) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में, यह मजिस्ट्रेट था जिसने कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम की धारा 271/488 के तहत शक्ति का प्रयोग किया था।

(18) हलुमन साहफ्स मामले (सुप्रा) में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के साथ पढ़ी गई धारा 197 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया था और फिर मामले को आपराधिक संदर्भ में लिया गया था। पटना उच्च न्यायालय.

(19) लगभग एक समानांतर प्रावधान; पंजाब नगरपालिका अधिनियम में मौजूद है, जो धारा 219 है, और निम्नलिखित शर्तों में है:

"219. जो कोई भी इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक नोटिस द्वारा समिति द्वारा दिए गए किसी भी वैध निर्देश या निषेध की अवज्ञा करता है या इसके तहत कानूनी रूप से जारी किए गए किसी भी लिखित नोटिस की अवज्ञा करता है, या उन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है जिनके अधीन समिति द्वारा उन शक्तियों के तहत उसे कोई अनुमति दी गई थी, यदि अवज्ञा या चूक किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय अपराध नहीं है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जिसे पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, और, लगातार उल्लंघन के मामले में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पांच रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पहली बार के बाद हर दिन जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है:

प्रदान किया

---

[12] ए.आई.आर. 1937 पटना 352.

उपरोक्त धारा के अवलोकन से पता चलता है कि धारा में 'अपराध' शब्द और 'दंडनीय' शब्द का उपयोग किया गया है और दंडित करने या दोषी ठहराने और जुर्माना लगाने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है।

(20) उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि उपरोक्त निर्णय यह मानने का अधिकार नहीं हो सकते हैं कि अधिनियम की धारा 23 एक अपराध बनाती है और ग्राम पंचायत उस धारा के तहत कार्य करते समय आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है।

(21) तर्क यह है कि चूंकि धारा 23 का प्रावधान आवर्ती जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है और चूंकि आवर्ती जुर्माना लगाने का ऐसा प्रावधान नगरपालिका अधिनियम में मौजूद था और नगरपालिका अधिनियम के दिए गए प्रावधान की जांच करते समय विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर आपत्ति जताई थी। कि मजिस्ट्रेट पहली दोषसिद्धि के समय ही आवर्ती दंड लगाने जैसा समग्र आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह मानना होगा कि पंचायत भी इसी तरह का आदेश पारित नहीं कर सकती है या धारा 23 का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 136 के प्रावधान के समान, इसके तहत पारित आदेश की अवज्ञा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है, इसलिए यह भी माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 23 ने अपराध बनाया है , सम्मान के साथ, सही नहीं है। यह विधायिका पर निर्भर है कि वह पंचायत के आदेश की अवज्ञा को अपराध मानती है या नहीं। विधानमंडल, वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही दिखाया जा चुका है, धारा 23 के प्रावधान को अपराध बनाने का इरादा नहीं था और न ही यह इरादा था कि धारा 23 के तहत कार्य करते समय पंचायत ने आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया।

(22) धारा 23 के तहत पारित पंचायत के आदेश में यह निर्देश है कि धारा 21 के तहत पारित आदेश की लगातार अवज्ञा करने पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारी राय में, प्रति दिन 5, स्पष्ट रूप से इसके प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन है। हालाँकि अध्याय का शीर्षक उस अध्याय में होने वाले प्रावधान के चरित्र के बारे में निर्णायक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि धारा 21 और 23 उस अध्याय में आते हैं जो 'ग्राम पंचायत के आचरण, कर्तव्यों, कार्यों और शक्तियों' से संबंधित है। , इस दृष्टिकोण को और मजबूत करता है कि धारा 23 के तहत पारित आदेश प्रशासनिक प्रकृति का है।
(23) उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 21 के तहत पारित आदेश की अवज्ञा धारा 23 के संदर्भ में अपराध नहीं है; कि धारा 23 के तहत पारित आदेश प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग है; और धारा 23 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा उसके आदेश की अगली और निरंतर अवज्ञा की प्रत्याशा में वैध रूप से आवर्ती जुर्माना लगाया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम आगे मानते हैं कि अधिनियम की धारा 23-ए के अधिनियमन के

बाद नारायण सिंह, हीरा सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का निर्णय अब प्रभावी नहीं है और इसलिए, , खारिज कर दिया। नतीजतन, सुरम सिंह के मामले (सुप्रा), नौरंग लाई के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच और अन्य फैसले; सुंदर सिंह और अन्य का मामला (सुप्रा), सरदारा सिंह और अन्य का मामला (सुप्रा), जज्जागर सिंह का मामला (सुप्रा), बचन सिंह और बार्न का मामला (सुप्रा), और सूरत सिंह का मामला (सुप्रा), उस दृष्टिकोण को लेते हुए नहीं छोड़ते इसलिए, यह सही कानून है और इसे खारिज कर दिया गया है।
(24) रिट याचिका अब हमारे सामने रखे गए कानूनी प्रस्ताव पर हमारे जवाब के आलोक में योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है।

आई. एस. तिवाना, जे.

(25) मुझे अपने विद्वान भाई, डी.एस. तेवतिया, जे. द्वारा तैयार किए गए सुस्पष्ट निर्णय से गुजरने का लाभ मिला है। हालाँकि, मैं उसमें व्यक्त राय के अनुरूप एफएसएलएल के लिए खुद को राजी नहीं कर पाया हूं। मैं उस मामले का विवरण नहीं दोहरा रहा हूं जिसका वर्णन मेरे विद्वान भाई ने अपने फैसले में किया है। मेरे कारण इस प्रकार हैं:-

(26) सबसे पहले, मेरा विचार है कि न्यायिक स्थिरता कानूनी आनंद की उच्चतम स्थिति नहीं हो सकती है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि रोस्टर में बदलाव के कारण न्यायालय की संरचना में आवधिक परिवर्तन परिवर्तनों के साथ होगा इसके फैसलों में. मेरे विचार से, 'दृढ़ता से निर्णय लेने' का सिद्धांत एक बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत है जिसे संभवतः तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक ऐसा करने के लिए असाधारण या विशेष कारण न हों। पूर्वता के कानून के सुस्थापित सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसमें किसी विशेष तर्क पर विचार किया गया था या नहीं, बशर्ते कि वह बिंदु जिसके संदर्भ में तर्क बाद में दिया गया था। उठाया, वास्तव में निर्णय लिया गया। (श्रीमती सोमवंती और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[13]

केवल इसलिए कि फैसले के दौरान उन सभी धाराओं का संदर्भ नहीं दिया गया, जिनका फैसले पर हमला करने वाले पक्ष के विद्वान वकील उल्लेख कर सकते हैं, यह आसानी से नहीं माना जा सकता है कि अदालत ने मुद्दे पर निर्णय लेने के समय उन प्रावधानों की अनदेखी की। इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अयूब खान बनाम पुलिस आयुक्त, मद्रास और

[13] ए.आई.आर. 1963 एस सी. 151.

अन्य[14] और टी. गोविंदराजा मुदलियार आदि बनाम तमिल नाडी राज्य और अन्य[15] में दोहराया था। इस न्यायालय के भीतर एक पूर्ण पीठ ने, इस सवाल पर विचार करते हुए कि कब और किन परिस्थितियों में एक बाध्यकारी मिसाल पर पुनर्विचार किया जा सकता है, ने फैसला सुनाया है कि यदि पहले के निर्णयों का अनुपात केवल सरलता की त्वरित रेत पर आधारित है। कोजंसेल को उन्हें उखाड़ने के लिए कुछ नए या नए तर्क (जो पहले उठाए या विचार नहीं किए गए थे) उठाने होंगे, तो बाध्यकारी मिसाल की अंतिमता का पवित्र नियम महज एक चिढ़ाने वाली मृगतृष्णा बनकर रह जाएगा। इसलिए, मुझे लगता है कि अकेले इस सिद्धांत के प्रकाश में, नारायण सिंह-हीरा सिंह और अन्य बनाम राज्य, (सुप्रा) और सूरत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (सुप्रा) में इस न्यायालय के पहले पूर्ण पीठ के फैसले), जैसा कि इन उदाहरणों का पालन करते हुए या इन निर्णयों में स्वीकृत अन्य सभी निर्णयों की रिपोर्ट की गई या रिपोर्ट नहीं की गई, उन्हें कायम रहना चाहिए और खारिज किए जाने के लायक नहीं हैं। यहां इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि इस न्यायालय के निर्णयों की एक धारा है - उनमें से एक अच्छी संख्या का उल्लेख मेरे विद्वान भाई तेवत्जा, जे द्वारा तैयार किए गए निर्णय में किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 21 के तहत अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में एक अपराध है और बाद की धारा के तहत आदेश पारित करने के परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है। न्यायिक कार्यवाही, और उसके आलोक में पंचायत के आदेश की बाद की अवज्ञा की प्रत्याशा में उस धारा के तहत वैध रूप से कोई आवर्ती जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। ये निर्णय अब तक लगभग तीन दशकों तक प्रभावी रहे हैं

(27) दूसरे, मैं यह पता लगाने में सक्षम नहीं हूं कि 11 फरवरी 1976 से प्रभावी अधिनियम की धारा 23-ए की शुरूआत, 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 3 के तहत कैसे की गई, जो एपी के मंच का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील संभवतः इस न्यायालय द्वारा उस धारा पर बार-बार लगाए गए दायरे या व्याख्या को बदल सकती है या प्रभावित कर सकती है। यह धारा अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। बेशक, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस धारा को क़ानून में शामिल करने से पहले भी, पूर्ववर्ती या न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून में यह निर्धारित किया गया था कि धारा 23 के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत है। इस प्रकार यह धारा, जब यह कहती है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत दिए गए पंचायत के आदेश

---

[14] ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1623.

[15] ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 974.

से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के तीस दिनों की अवधि के भीतर, उप निदेशक के पास अपील कर सकता है, केवल स्थिति को दोहराता है कि प्राधिकारी एक पारित करने के लिए सक्षम है. अधिनियम की धारा 23 के तहत आदेश ग्राम पंचायत का है और किसी का नहीं। इस प्रकार यह धारा इस न्यायालय के आदेश से कुछ भी अलग नहीं करती है जैसा कि ऊपर उल्लिखित असंख्य निर्णयों में व्यक्त किया गया है। संक्षेप में, मेरे विचार से, यह अनुभाग, उन निर्णयों के विपरीत किसी भी चीज़ को इंगित करने के बजाय, इस न्यायालय ने अपने परिचय से पहले जो कहा था, उसे दोहराता है। इसके अलावा, कानूनी स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा पारित एक आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 51 के तहत पुनरीक्षण योग्य था, कभी भी संदेह में नहीं था। (देखें सुरन सिंह बनाम समताना कलां की ग्राम पंचायत (सुप्रा), नौरंग लाई बनाम गांव गुजरवास की ग्राम पंचायत और अन्य[16]; उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (सुप्रा)) और रोशन लाई बनाम राय सिंह और अन्य[17]। अब यदि इस 'पुनरीक्षण मंच' के बजाय अधिनियम की धारा 23-ए द्वारा एक अपीलीय मंच प्रदान किया गया है, तो यह किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि कार्यवाही अधिनियम की धारा 23 के तहत आपराधिक न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति नहीं है। अधिनियम की धारा 23-ए के बाद के भाग ने अपीलीय निर्णय को अंतिम बना दिया है और किसी भी अदालत में सवाल उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसका अर्थ है कि उपाय अधिनियम की धारा 51 के तहत पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ अब उपलब्ध नहीं है। धारा 23 के तहत पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील द्वारा पुनरीक्षण के उपाय का यह प्रतिस्थापन अधिनियम विधायी नीति का मामला है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार, अध्याय IV के तहत प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्र की तुलना में एक विशेष या संक्षिप्त क्षेत्राधिकार की प्रकृति में है। अधिनियम। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र की प्रकृति - संक्षिप्त तरीके से या नियमित परीक्षण के तरीके से प्रयोग की जा सकती है - अधिनियम की धारा 38 के अनुसार "ग्राम पंचायत का आपराधिक क्षेत्राधिकार" बनी हुई है। यह अपराधों का संज्ञान लेने की पद्धति में कारण या अंतर और उन परीक्षणों के परिणामस्वरूप दी जाने वाली सजा में अंतर या अंतर को भी बताता है। इसके अलावा, मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी दोषी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लगाए जाने वाले दंड या जुर्माने की सीमा, जैसा कि अधिनियम की धारा 48 में प्रदान किया गया है, दोषसिद्धि से संबंधित है, न कि बार-बार दोषी ठहराए जाने से। अधिनियम की धारा 23 के तहत मामला।

(28) उपरोक्त सभी कारणों और नारायण सिंह-हीरा सिंह और सूरत सिंह के मामलों (सुप्रा) में दो पूर्ण पीठ के फैसलों में बताए गए कारणों के लिए, मैं इस विचार को कायम रखना चाहूंगा

---

[16] (1964) 66 पी.एल.आर. 28.

[17] (1969) 71 (दिल्ली अनुभाग) 336।

कि धारा 23 के तहत पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही अधिनियम आपराधिक न्यायिक कार्यवाही की ∗प्रकृति' में है और यह अपने आदेश की किसी भी बाद की अवज्ञा की प्रत्याशा में कोई आवर्ती जुर्माना नहीं लगा सकता है।

पी. सी. जैन, सी.जे.

(29) मुझे अपने विद्वान भाइयों डी.एस. तेवतिया और आई.एस. तिवाना, जे.जे. द्वारा तैयार किए गए निर्णयों को पढ़ने का लाभ मिला है। मैं भाई आई एस तिवाना, जे. के विचार से सहमत हूं।

एस. पी. गोयल, जे.-मैं तेवतिया, जे. से सहमत हूं।

डी. वी. सहगल, जे.-मैं डी.एस. तेवतिया, जे. के विचारों से सहमत हूं।

न्यायालय का आदेश

प्रेम चंद जैन, सी.जे. (मौखिक)।

(30) बहुमत के फैसले के आलोक में, यह याचिका होगी

अब गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जाएं।

प्रेम चंद जैन,
चीफ जस्टिस।
डी. एस. तेवतिया,
न्यायाधीश।
एस. पी. गोयल,
न्यायाधीश।
आई. एस. तिवाना,
न्यायाधीश।
डी. वी. सहबल,
न्यायाधीश

अस्वीकरण:

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा